

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०— एम०— 22/2024

वाद का प्रकार— धारा— 126 मा०ना०सु०सं०

राज कुमार —बनाम— बब्लु प्रसाद

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०— 51/2024 एवं डुमरी

थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 17/2024 दिनांक— 17.05.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा— 107) धारा— 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आवेदक राज कुमार, पिता— स्व० गणेश्वर साव, ग्राम— जैरागी, थाना— डुमरी, जिला— गुमला एवं प्रतिवादी बब्लु प्रसाद, पिता— कृष्णा प्रसाद, ग्राम— जैरागी, थाना— डुमरी, जिला— गुमला द्वारा रास्ते में घर बनाने को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। थाना प्रभारी, डुमरी से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।